न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

(परशुराम धानका, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्याः— 12/2018

प्रविष्टि दिनांकः— 04.05.2018

रामप्रसाद पुत्र शंकरलाल धाकड जाति धाकड निवासी ग्राम मुगलाना, तहसील दूनी जिला टोंक (राज0)

..... अपीलाण्ट

बनाम

तहसीलदार दूनी जिला टोंक (राज0)

..... रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व निर्णय तहसीलदार दूनी दिनांक 17.04.2018 मिसल संख्या 497/2018 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम रामप्रसाद

उपस्थितः (1)श्री जितेन्द्र कुमार जैन, अभिभाषक अपीलाण्ट
(2)श्री मजहर आलम, राजकीय पेरोकार

निर्णय दिनांक 15.07.2022

संक्षेप में अपील का सार इस प्रकार है कि तहसीलदार दूनी ने उनके आदेश दिनांक 17.04.2018 के द्वारा ग्राम मुगलाना तहसील दूनी के खसरा नम्बर 2246 रकबा 0.02 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 1477 रकबा 0.02 हैक्टेर चारागाह भूमि पर कब्जा कर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर अपीलान्ट को उक्त आराजी से बेदखल करते हुए 50 गुना 20 रूपये पेनल्टी आरोपित कर 90 दिवस के सिविल कारावास से दण्डित किया है। इस निर्णय को विधि विधान एवं तथ्यों के विपरीत मानते हुए निरस्त किये जाने हेतु यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब की गई।

अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट नहीं मंगवाई और न मौके का निरीक्षण किया, तथा अपीलांट द्वारा उक्त भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया हैं और ना ही अपीलांट का तथाकथित आराजीयात पर कोई अतिक्रमण है। अपीलांट को उक्त आराजीयात पर अतिक्रमण करने के संबंध में नोटिस भी जारी किया गया था, जिसकी जानकारी अपीलांट को होने पर अपीलांट ने नियमानुसार उक्त नोटिस का जवाब प्रस्तुत कर उक्त आराजीयात पर कोई अतिक्रमण नहीं करना अंकित किया है लेकिन उसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय अपीलांट के विरूद्ध पारित किया है जो निरस्तनीय हैं। अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया है और अपीलांट को सुने बिना ही उक्त निर्णय पारित किया हैं। पटवारी हल्का की साक्ष्य भी लेखबद्ध नहीं करवाई है और ना ही पटवारी हल्का साक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष साक्ष्य हेतु

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

उपस्थित हुआ है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर निर्णय तहसीलदार दूनी दिनांक 17.04.2018 निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय पेरोकार का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है। अपीलांट अतिक्रमण करने का आदी हैं। पूर्व में भी अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण सं. 1257/17 पर पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट के अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पेश करने पर अपीलांट को बेदखल किया गया था जो कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्रमाणित है। पुनः अपीलांट द्वारा खसरा नम्बर 2246 रकबा 0.02 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 1477 रकबा 0.02 हैक्टेयर चारागाह भूमि पर कब्जा किया गया हैं जो कि पटवारी हल्का मुगलाना की रिपोर्ट से स्पष्ट हैं। अतः तहसीलदार दूनी द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.04.2018 उचित है एवं अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण का नोटिस दिया गया है। अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होकर दिनांक 21.03.2018 को जवाब पेश किया हैं जिसमें अंकित किया हैं कि खसरा नम्बर 2246 रकबा 0.02 हैक्टर पर अपीलांट का कभी कब्जा नहीं रहा तथा खसरा नं. 1477 रकबा 0.02 हैक्टर पर अतिक्रमण करना स्वीकार किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के जवाब की सत्यता की जाचं हेतु भू अभिलेख निरीक्षक वृत धाड से पुनः जांच करवाई। जांच रिपोर्ट में अपीलांट का खसरा नम्बर 2246 व 1477 दोनों पर कब्जा होना पाया गया। न्यायालय हाजा द्वारा भी तहसीलदार दूनी से जांच रिपोर्ट मांगे जाने पर उनके पत्र क्रमांक 109/राजस्व/20 दिनांक 13.03.2020 से अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाना बताया है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा चारागाह भूमि पर मकान व बाडा बनाकर अतिक्रमण किया है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.04.2018 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।
निर्णय आज दिनांक 15.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परमेश्वर धीलिका)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
टोंक।